हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राजस्व आवेदन संख्या 60/2019 अनवान खेतसिंह बनाम तहसीलदार बाड़मेर	
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान--2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत कुड़ला पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.10.2021 को राजकीय माध्यमिक विधालय कुड़ला पर पेश हो। **(रोहित चौहान)** **उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर**	
12.10.2021	पत्रावली राजकीय माध्यमिक विधालय कुड़ला मे पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मजमेआम मे फर्द मौका बनाकर प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार कुड़ला के खसरा नंबर 648/350 रकबा 50.06 बीघा भूमि में खातेदार खेतसिंह, समुन्द्रसिंह पि0 पपसिंह हवाकंवर पत्नी पपसिंह कौम राजपूत के नाम की शुद्वि हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान--2021 कैम्प ग्राम पंचायत कुड़ला में मजमे--आम मे पूछताछ करने पर उपस्थित ने खातेदार खेतसिंह वगैरा मे प्रार्थीगण के पिता का सही नाम पपसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह दर्ज करने के संबंध मे मजमे आम में कैम्प प्रशासन गांवों के संग कुड़ला मे की गई। ग्राम कुड़ला के खाता संख्या 61 खसरा नंबर 648/350 रकबा 50.06 बीघा खेतसिंह समुन्द्रसिंह पि0 पपसिंह हवाकंर पत्नी पपसिंह दर्ज है जो कि जरिये फौतगी पपसिंह पुत्र मलसिंह के स्थान पर दर्ज हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेज आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र में उम्मेदसिंह पुत्र मलसिंह एवं मृत्यु प्रमाण--पत्र एवं राशनकार्ड मे पपसिंह उर्फ उम्मेदसिंह पुत्र मलसिंह दर्ज है। मजमे आम में जॉच मे भी बताया गया कि पपसिंह पुत्र मलसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। वास्तविक नाम उम्मेदसिंह पुत्र मलसिंह ही है। अतः शुद्व नाम खेतसिंह, समुन्दसिंह पि0 पपसिंह हवांकर पत्नी पपसिंह के स्थान पर खेतसिंह, समुन्द्रसिंह पि0 उम्मेदसिंह, हवांकवर पत्नी उम्मेदसिंह की शुद्वि किया जाना उचित बताया। अतः तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन स्वीकार कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत प्रकरण मे मौजा कुड़ला के खाता संख्या 61 खसरा नंबर 648/350 रकबा 50.06 बीघा खेतसिंह समुन्द्रसिंह पि0 पपसिंह हवाकंर पत्नी पपसिंह के नाम को शुद्वि किया जाकर खेतसिंह समुन्द्रसिंह पि0 उम्मेदसिंह हवाकंर पत्नी उम्मेदसिंह दुरूस्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेश अलग से जारी किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। **(रोहित चौहान)** **उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर**	